



OTT प्लेटफॉर्मस

प्रलिस के लयः

OTT प्लेटफॉर्म, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दशानरदेश और डजिटल मीडया नैतकता संहता) नयम 2021

मेन्स के लयः

OTT प्लेटफॉर्मस का बढता महत्त्व और इसके नहऱतारथ ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में SBI रसऱच द्वारा एक रपौरट जारी की गई, जसऱमें कहा गया कऱओवर द टॉप (Over The Top- OTT) बाज़ार वर्ष 2023 तक 12,000 करोड रुपए का उद्योग बनने के लयऱ तैयार है, जो वर्ष 2018 में 2,590 करोड रुपए था ।

प्रमुख बढऱ

■ संबधतऱ आँकडे:

- OTT बाज़ार वर्ष 2018 में 2,590 करोड रुपए से बढकर वर्ष 2023 तक 36% की चक्रवृद्धऱ वार्षकऱ वृद्धऱ के साथ 11,944 करोड रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है ।
- OTT ने पहले ही मनोरंजन उद्योग की हसऱसेदारी और राजस्व का 7-9% हसऱसा रखता है, और लगातार 40 से अधकऱ अभकऱरत्ताओं के साथ लगातार बढ रहा है और सभी भाषाओं में मूल मीडया सामग्री प्रस्तुत कर रहा है ।
- देश में आज 45 करोड से अधकऱ OTT ग्राहक हैं और इसके वर्ष 2023 के अंत तक 50 करोड तक पहुँचने की उम्मीद है ।
- पे-पर-व्यू सेगमेंट (टेलीवजऱन देखने की प्रणाली जसऱमें लोग अपने द्वारा देखे जाने वाले वशऱष कार्कर्मों के लयऱ भुगतान करते हैं) वर्ष 2018 में 3.5 करोड रुपए था और वर्ष 2022 में 8.9 करोड रुपए और 2027 में 11.7 करोड रुपए तक छूने की राह पर है ।
 - इस अवधऱ के दौरान वीडयो डाउनलोड कऱमशऱ: 4.2 करोड और 7.7 करोड, 8.6 करोड, जबकऱ वीडयो स्ट्रीमऱग कऱमशऱ: 1.9 करोड, 6.8 करोड और 10.8 करोड होने की उम्मीद है ।

■ वृद्धऱ के कारण:

- यह मज़बूत वृद्धऱ ससऱती हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट, इंटरनेट उपयोगकऱरत्ताओं के दोगुने होने, डजिटल भुगतानों को अपनाने में वृद्धऱ और वैश्वकऱ अभकऱरत्ताओं द्वारा दी जाने वाली रयऱयती कीमतों के कारण है ।
- कोवडऱ के कारण लॉकडाउन जसऱने सनऱमाघऱरों को पूरी तरह से बंद कर दया ।

■ नहऱतारथ:

- इससे वीडयो कॅसेट रकॉर्डर/ वीडयो कॅसेट प्लेयरस/ डजिटल वीडयो डसऱक (VCR/VCP/DVD) उद्योगों के अपऱचलतऱ होने की पुनरावृत्तऱ हो सकती है, जो 1980 के दशक में मेट्रो/शहरी क्शेत्ऱरों में तथा 2000 के दशक की शुरुआत सेल्टीप्लेक्स/सनऱमाघऱरों की संख्यऱ बढने के साथ तेज़ी से बढा ।
 - 1980 के दशक में VCR/VCP के प्रचलन में वृद्धऱ देखी गई, जसऱने पहली बार फलऱम देखने के पारंपरकऱ तरऱकों को चुनौती दी ।
- OTT के बढने से सनऱमाघऱरों के लाभ पर प्रभाव पडने की आशंका है क्यौंकऱ 50% से ज़्यादा लोग महीने में 5 घंटे से ज़्यादा OTT का इस्तेमाल करते हैं ।
- यह उम्मीद की जाती है कऱ शकऱषा, स्वास्थय और फटऱनेस में OTT प्लेटफॉर्म के वसऱतार से इसके भवऱषय को भी मज़बूती मलऱगी ।
- इसने सामग्री नरऱमाताओं के लयऱ नए मार्ग खोल दयऱ हैं, और दर्शकों के लयऱ यहकेवल मनोरंजन ही नहीं बलकऱ सामाजकऱ मुद्दों पर जागरूक होने का माधयम भी बन गया है ।

ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मस:

- प्रायः ओटीटी (OTT) या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्मस का प्रयोग ऑडयो और वीडयो होस्टगऱ तथा स्ट्रीमऱग सेवा प्रदाता के रूप में कयऱा जाता है,

जनिकी शुरुआत तो असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, कति वर्तमान में ये स्वयं हीशॉर्ट फलिम, फीचर फलिम, वृत्तचित्रों और वेब-फलिम का नरिमाण कर रहे हैं।

- ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने साथ-साथ कृत्रमि बुद्धिमित्ता (AI) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं।
- अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म आम तौर पर कुछ सामग्री नःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिये मासकि सदस्यता शुल्क लेते हैं जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होता है।
- प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं नरिमाण और वपिणन कथिा जाता है, प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से इन्होंने कई फीचर फलिमों का नरिमाण कथिा है।
- उदाहरणः नेटफ्लिक्स, डज़िनी+, हुलु, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, हुलु, पीकॉक, कयूरयोसिटी स्ट्रीम, प्लूटो टीवी आदि।

OTT प्लेटफार्मों को वनियमति करने वाले कानूनः

- सरकार ने OTT प्लेटफार्मों को वनियमति करने के लिये फरवरी 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दशानरिदेश और डजिटल मीडिया नैतकिता संहति) नयिम वर्ष 2021 को अधिसूचति कथिा था।
- यह नयिम OTT प्लेटफॉर्म के लिये आचार संहति और त्रःस्तरीय शकियात नविरण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट-टच स्व-नयिमक आर्कटिकचर स्थापति करते हैं।
 - प्रत्येक प्रकाशक को 15 दनों के भीतर शकियातें प्राप्त करने और उनके नविरण के लिये भारत में स्थति एकशकियात अधिकारी नयिक्त करना चाहिये।
 - साथ ही, प्रत्येक प्रकाशक को एक स्व-नयिमक नकिया का सदस्य बनने की आवश्यकता है। ऐसे नकिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा और उन शकियातों का समाधान करना होगा जनिका समाधान प्रकाशक द्वारा 15 दनों के भीतर नहीं कथिा गया है।
 - सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठति अंतर-वभिगीय समति त्रःस्तरीय नगिरानी तंत्र का गठन करती है।
- यह कानून केंद्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण का प्रावधान करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. COVID-19 महामारी ने पूरे वशिव में अभूतपूर्व तबाही मचाई है। हालाँकि, संकट से उभरने के लिये तकनीकी प्रगतिका लाभ उठाया जा रहा है। महामारी के प्रबंधन में सहायता के लिये प्रौद्योगिकी की क्या ज़रुरत पड़ी, इसका वविरण दीजिये। (2020)

[स्रोतः इकॉनोमकि टाइमस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ott-platforms-1>